रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1330] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 31, 2016/ज्येष्ठ 9, 1938
No. 1330] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 31, 2016/JYAISTHA 9, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2016

का. आ. 1922(अ).—जबकि, हिमाचल प्रदेश राज्य ने वनों से बाहर के क्षेत्रों में रीसस मकाक बंदरों द्वारा बड़े पैमाने पर खेती-बाड़ी के नष्ट होने सहित जीवन और संपत्ति की क्षति होने की सूचना दी है :-

और जबकि, केन्द्र सरकार ने वनों में वन्यजीवों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य में मानव जीवन, फसलों और अन्य संपत्तियों के नुकसान को कम करना आवश्यक समझा है ।

इसलिए, अब केंद्र सरकार, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 62 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची-II के भाग-1 की क्रम सं. 17-ए पर सूचीबद्ध रीसस मकाक (मकाका मुलाटा) की निम्नलिखित विशिष्ट क्षेत्रों में इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए उक्त अधिनियम की अनुसूची-V में शामिल किए जाने हेतु पीड़क जंतु के रूप में घोषणा करती है अर्थात् :-

I. वे क्षेत्र जिनमें रीसस मकाक (मकाका मुलाटा) को हिमाचल प्रदेश राज्य के संदर्भ में अनुसूची-V में शामिल समझा जाएगा -

क्रम सं.	जिला	तहसीलों की संख्या	तहसील का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	चम्बा	4	डलहौज़ी, भटियात, सिहुन्ता, चंबा
2	कांगड़ा	7	नुरपूर, इन्दौरा, फतेहपुर, ज्वाली, कांगड़ा, पालमपुर,बरोह
3	ऊना	5	भरवांई, अम्ब, ऊना, हरोली, बंगाणा
4	बिलासपुर	4	घुमारवीं, नैना देवी, बिलासपुर सदर, नम्होल

5	शिमला	3	शिमला ग्रामीण, रामपुर, नेरवा
6	सिरमौर	5	पच्छाद राजगढ़, रेणूका, शिलाई, कमराऊ
7	कुल्लू	3	मनाली, कुल्लू, सैन्ज
8	हमीरपुर	2	बडसर, बिजहारी
9	सोलन	4	नालागढ़, कसौली, सोलन, दारलाघाट
10	मण्डी	1	सुन्दर नगर

II. अनुसूची-V में रीसस मकाक (मकाका मुलाटा) का समावेशन हिमाचल प्रदेश राज्य के वन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा ।

[फा. सं. 1-26/2015-डब्ल्यूएल-(पार्ट)]

विनोद रंजन, अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2016

S.O. 1922(E).—Whereas, the State of Himachal Pradesh has reported damage to life and property including large scale destruction of agriculture by Rhesus Macaque monkeys in areas outside forests;

And whereas, the Central Government has considered it necessary to mitigate the damage to human life, crops and other properties of the State for ensuring conservation of wildlife in forests.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 62 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government, hereby declares Rhesus Macaque (*Macaca mulatta*) listed at serial number 17-A of Part I of Schedule II to the said Act, to be vermin for inclusion in Schedule V of the said Act, for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in the areas specified below, namely:-

Areas where Rhesus Macaque (*Macaca mulatta*) shall be deemed to be included in Schedule V in the State of Himachal Pradesh

S. No.	District	No. of Tehsils	Areas (Name of Tehsils)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Chamba	4	Dalhousie, Bhatiyat, Sihunta, Chamba
2	Kangra	7	Nurpur, Indora, Fatehpur, Jawali, Kangra, Palampur, Baroh
3	Una	5	Bharwain, Amb, Una, Haroli, Bangana
4	Bilaspur	4	Ghumarwin, Nainadevi, BilaspurSadar, Namhol,
5	Shimla	3	Shimla Rural, Rampur, Nerwa
6	Sirmour	5	Pachhad, Rajgarh, Renuka, Shillai, Kamrau
7	Kullu	3	Manali, Kullu, Sainj
8	Hamirpur	2	Badsar, Bijhari
9	Solan	4	Nalagarh, Kasauli, Solan, Darlaghat
10	Mandi	1	Sundarnagar

2. The inclusion of Rhesus Macaque ((*Macaca mulatta*) in Schedule V shall not be applicable in the forest areas of the State of Himachal Pradesh.

[F. No. 1-26/2015- WL-(pt)]

VINOD RANJAN, Addl. Director General of Forests (WL)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.